

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 335] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 15, 1978/कार्तिक 24, 1900
No. 335] NEW DELHI WEDNESDAY, NOVEMBER 15, 1978/KARTIKA 24, 1900

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह ग्रन्थ संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

विस्तृत मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1978

सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 553(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का
52— की धारा 14 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के उपखण्ड 1 के अनुसरण में, भारत
सरकार के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 192-सी. शु. (सा. का. नि.) सं. 485 (अ.),
तारीख 1 अक्टूबर, 1978 में, निम्नलिखित और संशोधन करती हैं, अर्थात् उक्त अधि-

सूचना के नीचे की अनुसूची में क्रम सं. 12, 13 और 15 और उससे सम्बन्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नीलिखित स्था जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
12	मलाया के डालर	25.90
13	नार्वे के क्रोनर	59.30
15	स्वीडन के क्रोनर	51.50

[सं. 225-सी. शु./फा. सं. 503/6/78-सी. शु.-6]

ए. बोर्डिया, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 1978

CUSTOMS

G.S.R. 553(E).—In pursuance of sub-clause (1) of clause (a) of sub-section (3) of Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification of the Government of India Ministry of Finance, Department of Revenue No. 192-Cus. (G.S.R. No. 485(E) dated the 1st October, 1978, namely :—

In the Schedule below the said notification,—for Serial No. 12, 13 and 15 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)
12	Malaysian Dollars	25.90
13	Norwegian Kroners	59.30
15	Swedish Kroners	51.50

[No. 225-CUS./F. No. 503/6/78-CUS. VI]

A. BORDIA, Under Secy.